



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082020-221181  
CG-DL-E-17082020-221181

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405]  
No. 405]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 17, 2020/श्रावण 26, 1942  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 17, 2020/SHRAVANA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2020

सं०. 77/2020- सीमा-शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 511(अ).— सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 58क और धारा 73 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, स्पेशल वेयरहाउस (माल की कस्टडी एंड हैंडलिंग) रेग्युलेशन, 2016 में, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ - (1) इन विनियमों को स्पेशल वेयरहाउस (माल की कस्टडी एंड हैंडलिंग) अमेंडमेंट रेग्युलेशन, 2020 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. स्पेशल वेयरहाउस (माल की कस्टडी एंड हैंडलिंग) रेग्युलेशन्स, 2016 में, विनियम 12 के बाद निम्नलिखित विनियम को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“13. कतिपय मामलों में इस विनियम की अप्रयोज्यता.- इन विनियमों में निहित कोई भी बात ऐसे किसी वेयरहाउस पर लागू नहीं होगी जिन्हें इस अधिनियम की धारा 58क के तहत लाइसेन्स दिया गया हो और वे उक्त अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कार्यरत हों।”

[फा. सं. 473/03/2020- सीमा-शुल्क ]

गौरव सिंह , उप सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 69/2016-सीमाशुल्क, दिनांक 14 मई, 2016 को सा. का. नि. 516(अ), दिनांक 14 मई, 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**

**( Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2020

**No. 77/ 2020-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 511(E) .—** In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 58A and sub-section (2) of Section 73A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations to amend the Special Warehouse (Custody and Handling of Goods) Regulations, 2016, namely: -

**1. Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Special Warehouse (Custody and Handling of Goods) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Warehouse (Custody and Handling of Goods) Regulations, 2016, after regulation 12, the following regulation shall be inserted, namely: -

“13. **Non applicability of regulation in certain cases.** - Nothing contained in these regulations shall apply to a warehouse licensed under Section 58A of the Act and operating under section 65 of the Act.”.

[F. No. 473/03/2020-LC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

**Note:** The principal notification No. 69/2016-Customs (N.T.), dated the 14<sup>th</sup> May, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 516(E), dated the 14<sup>th</sup> May, 2016.